



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहरण के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
अपहता सकुशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.4.2024 को वादी ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त राहुल पुत्र चमन निवासी ग्राम नैनखेडा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर घर के पास से भगा ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 225/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहर्ता की शीघ्र सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त राहुल पुत्र चमन निवासी ग्राम नैनखेडा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को दिनांक 14.04.2024 काशीराम बस अड्डे के पास रोयल इनफिल्ड एजेन्सी के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल पुत्र चमन नि0ग्राम नैनखेडा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-

1. उ0 नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. म0का0 1877 सोनू थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्क़र गिरफ़्तार, कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा समान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब की तस्क़री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त **इमरान पुत्र जमील निवासी ग्राम मौ0 हामिद हसन ढिकोवाला कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर** को DTS स्कूल कट से 100 कदम दुमझेडा की तरफ सडक पुख्ता शराब खाम(कच्ची शराब) के साथ गिरफ़्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 089/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ़्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ़्तार अभियुक्त का नाम पता:-

इमरान पुत्र जमील निवासी ग्राम मौ0 हामिद हसन ढिकोवाला कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0- 297/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—089/2024 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

10 लीटर कच्ची शराब (शराब खाम)

गिरफ़्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- का0 1821 टिकु यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 07 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा समान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में सात वारंटी अभियुक्तगण 1.अशरफ पुत्र आबुल हसन 2. मुकर्रम पुत्र आबुल हसन समस्त निवासीगण ग्राम महेश्वरीकलां थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या—1992/2023 धारा—452/323/504/506 भादवि चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर को उसकी मसकन ग्राम महेश्वरीकलां से 3.राकिब पुत्र सगीर निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या—2059/2023 धारा—4/21 खनन अधिनियम व 379/411 भादवि व ¼ पीपीडी एक्ट थान चिलकाना को मसकन ग्राम गुमटी से 4. भूरा पुत्र स्व0 अकबर निवासी ग्राम बुड्डाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या—3847/23 धारा—25 आर्म्स एक्ट को मसकन ग्राम बुड्डाखेडा से 5. दानिश पुत्र इल्ताफ 6. इल्ताफ पुत्र महमूद निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या—4391/23 धारा—147/323/352 भादवि को उनके मसकन ग्राम मलकपुर से व 7. रईस पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या—4273/2023 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना को उसके मसकन ग्राम मलकपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगणों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अशरफ पुत्र आबुल हसन निवासी ग्राम महेश्वरीकलां थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. मुकर्रम पुत्र आबुल हसन समस्त निवासी ग्राम महेश्वरीकलां थाना चिलकाना सहारनपुर
3. राकिब पुत्र सगीर निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना सहारनपुर ।
4. भूरा पुत्र स्व0 अकबर निवासी ग्राम बुड्डाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर ।
5. दानिश पुत्र इल्ताफ निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
6. इल्ताफ पुत्र महमूद निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. रईस पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 विजय सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 479 अमितकुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या में शामिल 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20/01/2024 को वादिया ने थाने पर उपस्थित आकर सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-उस्मान पुत्र शागीर निवासी मौहल्ला दुग्धा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2-महताब पुत्र आबिद निवासी सरायपीर जादगान थाना देवबंद जिला सहारनपुर 3- नरेन्द्र सैनी पुत्र ओम प्रकाश निवासी मोहल्ला दुग्धा थाना देवबंद जिला सहारनपुर ने वादिया के पति अफजाल उर्फ मोनू निवासी मोहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना देवबंद जिला सहारनपुर की हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 27/2024 धारा 302/201/34 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में देवबंद पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में नामित अभियुक्तगण 1-उस्मान पुत्र शागीर निवासी मौहल्ला दुग्धा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2-महताब पुत्र आबिद निवासी सरायपीर जादगान थाना देवबंद जिला सहारनपुर 3- नरेन्द्र सैनी पुत्र ओम प्रकाश निवासी मोहल्ला दुग्धा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को दिनांक 21.01.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तथा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त इरफान उर्फ चिरचन्दा पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला किला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दि0 15.04.24 को रणखण्डी फाटक के पास भायला रोड से गिरफ्तार किया गया। तथा विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं दिनांक 13.01.2024 व 14.01.2024 को महताब व उस्मान ने मुझे मृतक अफजाल उर्फ मोनू के फोन से महिला की आवाज व आवाज बदलकर बात करने के लिये कहा था जिस पर मैंने मनव्वर पुत्र शरीफ निवासी वृन्दावन कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व रिजवान पार्शद पुत्र अमीरुद्दीन निवासी मौहल्ला पीरजादरान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर से अन्य कई नम्बरो पर भी आवाज बदलकर बात की थी। जिससे लोगो को लगे की मृतक मोनू उर्फ अफजाल अभी जिन्दा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरफान उर्फ चिरचन्दा पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला किला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजीव त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 742 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को तीन अलग-अलग मामलों में 09 वर्ष का कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: –

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2018 को वादी श्री उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर पर अभियुक्त शहजाद उर्फ कालिया पुत्र सलीम नि० रायपुर नूरबस्ती थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर करने की सूचना पर मु०अ०स० 22/2018 धारा 307 भादवि मु०अ०स० 23/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०स० 24/2018 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 315/2018 व 316/2018/तथा 317/2018 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 15.04.2024 को अभियुक्त **शहजाद उर्फ कालिया पुत्र सलीम को मु०अ०स० 22/2018 धारा 307 भादवि मु०अ०स० 23/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०स० 24/2018 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम का दोषी पाते हुए धारा 307 में 5 वर्ष का कारावास 20 हजार रु० जुर्माना धारा 25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास व 10 हजार रु० जुर्माना धारा 3 यूपी गुण्डा में 01 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) त्रिकम सिंह

विवेचक उनि० श्री अनिल कुमार

पैरोकार हे०का० 669 अजय राणा थाना मिर्जापुर सहारनपुर।